

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर



प्रबन्ध बोर्ड की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त

गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक: १० अप्रैल, २००८ को प्रातः ११.०० बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के शिविर कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

- | | | |
|----|---|-------------|
| १. | प्रो० आर०एस० निर्जर
कुलपति,
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
<u>प्रेटर नौएडा</u> | ... अध्यक्ष |
| २. | श्रीयुत जैकब थामस
प्रमुख सचिव
औद्योगिक विकास विभाग,
लाल बहादुर शास्त्री भवन
<u>लखनऊ</u> | ... सदस्य |
| ३. | प्रो० राम कुमार गरवा
४ सी० मोती बांध रोड
पोस्ट- निन्देर
विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया (वीक्सेआईए)
<u>जयपुर - ३०२ ०९३</u> | ... सदस्य |
| ४. | प्रो० रणजीत सिंह
निदेशक
नेताजी सुभाष इन्सटीट्यूट आफ टेक्नालोजी
सेक्टर-३, छारिका
<u>नई दिल्ली-९९००७५</u> | ... सदस्य |
| ५. | प्रो० ऋषि राज गौड़
डिपार्टमेंट आफ मैकेनिकल इंजी०
इन्डियन इन्सटीट्यूट आफ टेक्नालोजी, हौजखास
<u>नई दिल्ली-९९० ०९६</u> | ... सदस्य |
| ६. | प्रो० मुकुल गुप्ता
डीन रिसर्च एण्ड बिजनेस डवलपमेंट
मैनेजमेंट डवलपमेंट इन्सटीट्यूट
मेहरौली रोड, सुखराली,
<u>गुडगांव- ९२२ ००९</u> | ... सदस्य |
| ७. | प्रो०शेर अली
नेशनल इन्सटीट्यूट आफ इम्यूनालोजी
जै०एन०य०० कैम्पस,
<u>नई दिल्ली - ९९० ०९६</u> | ... सदस्य |



८. प्रो० ब्रह्मजीत सिंह ... सदस्य
 डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रॉनिक्स
 नेशनल इन्सटीट्यूट आफ टेक्नालॉजी
कुरुक्षेत्र - १३२ ११६
९. श्रीयुत ओमवीर सिंह ... सचिव
 कुलसचिव
 गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा

(5)

विशेष आमंत्रित

श्रीयुत एस०एस०ए० रिजवी
 महाप्रबन्धक (परियोजना)
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा

श्रीयुत वी०बी०सिंह
 महाप्रबन्धक वित्त
 ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण
 एवं
 वित्त अधिकारी
 गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा

बैठक में सभी सदस्य उपस्थित रहें।

कृत कार्यवाही

- प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारम्भ हुई।
- प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्यों को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की प्रगति से अवगत कराया गया। बोर्ड ने विश्वविद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति को सन्तोष जनक मानते हुए महाप्रबन्धक (परियोजना) एवं वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना) तथा उनके सहयोगियों के कार्य की प्रशंसनीय प्रगति के लिए सराहना की तथा निर्माण इकाई से अपेक्षा की कि निर्माण की गति थोड़ी और तेज की जाये जिससे समय से सत्र आरम्भ हो सके तथा विश्वविद्यालय का कार्यालय अपने परिसर में शीघ्र से शीघ्र हस्तानावतारित हो सके।

08.01.01 विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु संलग्न अध्यादेशों (Ordinances) पर विचार एवं निर्णय ।

बोर्ड ने प्रस्तावित अध्यादेशों को कतिपय भाषागत संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रदान किया। संशोधित अध्यादेश संलग्न है।

08.01.02 विषय विशेषज्ञों की सूची पर विचार एवं अनुमोदन ।

बोर्ड ने विषय विशेषज्ञों की सूची को विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया। यह भी निर्णय लिया कि उक्त सूची में अन्य विशेषज्ञों को सम्मिलित करने हेतु कुलपति महोदय पूर्ण रूपेण अधिकृत होंगे।

(1)

-८८-
 १२

08.01.03

प्रथम सत्र में एम०बी०ए० कोर्स मे प्रवेश हेतु शुल्क निर्धारण
एवं अन्य व्यवस्थाओं पर विचार एवं निर्णय।

बोर्ड ने प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया तथा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया:-

- (अ) शैक्षिक तथा अन्य सम्बन्धित शुल्करु० 1.44 लाख प्रतिसत्र
(ब) छात्रावास आवास शुल्करु० 0.36 लाख प्रतिसत्र

कुल रु० 1.80 लाख प्रतिसत्र

अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए शैक्षिक शुल्क 50 प्रतिशत देय होगा।

08.01.04

विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक शैक्षिक, प्रशासनिक एवं
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों के सूजन पर विचार एवं
निर्णय।

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की तत्काल आवश्यकता को दृष्टिगत स्फरे हुए आवश्यक शैक्षिक तथा प्रशासनिक पद सूजित कर लिये जायें जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

प्रशासनिक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सूजित पदों का विवरण

क्रम सं०	सूजित पदों का विवरण	पदों की सं०	वेतनमान
1.	कुलपति के स्टाफ ऑफिसर	01	8000-275-13500
2.	एकाउन्टस ऑफिसर	01	8000-275-13500
3.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	8000-275-13500
4.	फिजिकल ट्रेनिंग इन्स्ट्रक्टर	01	6500-200-10500
5.	जूनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	6500-200-10500
6.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	5500-175-9000
7.	कैशियर	01	5000-150-8000
8.	कैलागर	02	4000-100-6000
9.	कार्यालय सहायक	03	3050-75-3950-80-4590
10	ऑफिसेन्ट	05	2550-55-2660-60-3200
		18	

उक्त सभी पदों पद नियुक्ति अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्थानुसार संविदा के आधार की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार डाटा ऐन्ड्री ऑपरेटर, इंजिनियर, अैटेंडेन्ट, बागवानी स्टाफ, स्वच्छकार तथा अनुरक्षण स्टाफ वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से लिए जाने का भी निर्णय लिया गया।

सूजित शैक्षिक पदों का विवरण

3

क्रम संख्या	सूजित होने वाले पदों का विवरण	पदों की संख्या
1.	स्कूल आफ मैनेजमेन्ट हेतु	14
2.	स्कूल आफ लॉ हेतु	02
3.	स्कूल आफ बायोटैक्नोलॉजी हेतु	03
4.	इन्फ्रारेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी हेतु	03

इसके अतिरिक्त 'रिसर्च एसोसिएट' के पदों के सूचन हेतु

कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। कुलपति महोदय विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार 'रिसर्च एसोसिएट' के पद सूजित करके उन पर नियुक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

उक्त सभी पदों पर नियुक्ति अधिनियम में प्राविधानित व्यवस्थानुसार संविदा के आधार की जायेगी।

08.01.05

विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 31 उपधारा (1) में संशोधन किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 43 उपधारा (2) के अनुरूप विश्वविद्यालय के लेखों का आडिट चार्ट एकाउन्टेन्ट द्वारा करवाया जाये तथा विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 31 उपधारा (1) में आवश्यक संशोधन विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुरूप कर लिये जाये।

08.01.06

विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों/सुविधाओं (चिकित्सा) पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचारोपरावृत्त यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों/कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों यथा आई0आई0टी0/आई0आई0एम0 के समकक्ष एन0सी0आर0 में उपलब्ध समस्त सुविधाएँ (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु अनुमन्य मकान किराया भत्ता/सी0सी0ए० तथा यात्रा भत्ता) प्रदान की जायें।

चिकित्सा सुविधा

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों/कर्मचारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अत्यन्त उपयोगी एवं आवश्यक है। अतः विश्वविद्यालय हेतु उक्त व्यवस्था को अनुमोदित करते हुए तत्काल लागू करने की अनुमति प्रदान की।

पेव्शन अंशदान

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पेव्शन अंशदान की व्यवस्था विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों/कर्मचारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अत्यन्त उपयोगी एवं आवश्यक है। अतः विश्वविद्यालय में उक्त व्यवस्था को तत्काल लागू करने की अनुमति प्रदान की गई।

(2)

टेलीफोन सुविधा (कारपोरेट कनेक्शन):-

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय उचित है। वर्तमान में इन्टरकाम व्यवस्था से अधिक मोबाइल सुविधा उपयोगी है।

- 08.01.07. विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक शैक्षिक, प्रशासनिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्टाफ स्ट्रक्चर पर विचार एवं निर्णय।

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार समय समय पर संलग्न स्टाफ स्ट्रक्चर के अनुरूप पदों का सृजन प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से किया जाये तथा विश्वविद्यालय में सृजित शैक्षिक, प्रशासनिक/शिक्षणेत्तर पदों के बेतनमान एवं अन्य सुविधाएँ राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों द्वारा आई0आई0ठी0/आई0आई0एम0 के समान ही रखी जाये।

- 08.01.08. गौतम बुद्ध ऐजुकेशन सोसायटी में सृजित विभिन्न शैक्षिक, प्रशासनिक एवं शिक्षणेत्तर पदों को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में समाविष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदय द्वारा प्राधिकार प्रभाण-पत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप गौतम बुद्ध ऐजुकेशन सोसायटी हेतु सृजित पदों को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में समाविष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

- 08.01.09 विश्वविद्यालय के संचालन हेतु वित्तीय प्रबन्ध पर विचार एवं निर्णय।

बोर्ड को संलग्न प्रस्ताव से अवगत करवाया गया तथा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी महोदय को विश्वविद्यालय के खातों में पड़ी धनराशि का समय समय पर विश्वविद्यालय हित में Fixed Deposit आदि करने के लिए अधिकृत किया गया तथा भविष्य में विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा विश्वविद्यालय की प्रगति की गति को बनाये रखने हेतु एड्डाउमेन्ट फण्ड की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किये जाने की संस्तुति की तथा निर्णय लिया कि उक्त हेतु प्रस्ताव शासन की स्वीकृति एवं अधिसूचित करने हेतु प्रस्तुत किया जाये।

(1)

25-1

08.01.10

वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट पर विचार एवं निर्णय।

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया। बोर्ड ने विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के समकक्ष विकसित किये जाने की अपेक्षा की तथा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति किये जाने का सुझाव दिया।

08.01.11

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार एवं निर्णय।

(क) एम०बी०ए० में प्रवेश पाने वाले छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की व्यवस्था कियाये के भवन में किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

बोर्ड को संलग्न प्रस्ताव से अवगत करवाया गया तथा छात्र-छात्राओं के प्रवास हेतु व्यवस्था किये जाने हेतु महाप्रबन्धक (परियोजना), ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया कि, विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के हित में जो भी व्यवस्था उपयुक्त हो कर ली जायें।

(ख) छात्रावास अभिरक्षकों को मुफ्त आवास सुविधा दिये जाने पर विचार एवं निर्णय।

बोर्ड ने संलग्न प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि छात्रावास अभिरक्षकों को आवास एंव टेलीफोन की सुविधा निशुल्क अनुमन्य होगी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


(श्री ओमवीर सिंह)
सचिव प्रबन्ध बोर्ड
एंव कुलसचिव
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा


(प्र० आर०एस० निर्जर)
अध्यक्ष प्रबन्ध बोर्ड
एंव कुलपति
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
ग्रेटर नोएडा